

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान हरदेव सिंह बनाम श्रीपति सिंह

प्रकरण संख्या 104 / 2023 अन्तर्गत धारा 312 RTA

दिनांक आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज नम्बर जो इस पालना ...

02/11/23 वादी गार्डियनता उपस्थित। बहस सुनी गई व पत्रावली का गवलोकन किया गया। लिहाजा प्राची को प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28/11/23 मूलवाद के विण्धि तक स्थायी की जाती है। पत्रावली विनिति होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

